


(15)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है खसरा सं०:-198, क्षेत्रफल:- 0.3620 हें० व खसरा सं०:- 205, क्षेत्रफल:- 0.9940 हें०, उपरजिलाधिकारी फरीदपुर द्वारा दिनांक 03.03.2021 के आदेश के अनुसार भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह भूमि ट्रिनिटी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को दर्ज की जाती है। प्रस्तावित भूमि में निर्मित भवन एवं अवशेष भू-भाग का उपयोग दीपमाला कॉलेज ऑफ़ फार्मसी हेतु प्रयोजन दी जाती है। इस भूमि पर अन्य किसी भी तरह का प्रयोजन नहीं किया जा रहा है और इस भूमि समस्त गाटे मिलान पर है तथा उनके मध्य है कोई भी नाली चकरोड/रास्ता, कब्रिस्तान/शमशान तथा कोई भी तालाब नहीं है।


पंकज यादव
लेखपाल

